

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 93/2023

तारीख दायर 10/5/23

प्रेषित :- तहसीलदार बिजौलियाँ 93/2023

निर्णय - 24/5/23

विषय :- प्रकरण संख्या पत्थरगढ़ी बाबत।

शम्भूलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा  
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. शिवलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
2. शम्भूलाल पिता घीसा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
3. कैलाश पिता घीसा जाति प्रजापत उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0
4. नानालाल पिता भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी सुखपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज0

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम सुखपुरा पटवार हल्का सुखपुरा मे खाता संख्या 133 पर अंकित आराजी संख्या 182/2 रकबा 0.5342 हे0, आराजी संख्या 189/2 रकबा 0.4371 हे0, आराजी संख्या 190 रकबा 0.5504 हे0, आराजी संख्या 299/1 रकबा 0.4856 हे0, आराजी संख्या 397/2 रकबा 0.5585 हे0, आराजी संख्या 429/2 रकबा 0.3157 हे0, आराजी संख्या 432/3 रकबा 0.1781 हे0, आराजी संख्या 433/3 रकबा 0.2023 हे0 कुल किता 8 रकबा 3.2619 हे0 भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खूर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ~~1000/-~~ वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढ़ी करें।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी  
उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलिया  
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा